न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— शिशपाल सुथार पुत्र श्री नानूराम जाति सुथार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री राजेश लदरेचा — अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 04.06.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.06.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 17.4.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.6.17 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये जाने एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है, की टिप्पणी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेश लदरेचा का मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 20.6.17 के मुताबिक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है बल्कि सम्पूर्ण रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये, इस आधार पर निरस्त किया गया है, जो विधिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने शपथ पत्र जिस बाबत प्रस्तुत किया गया उसके सभी 6 बिन्दु सही हैं, कोई भी एक बिन्दु गलत नहीं है। अपीलाधीन आदेश में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, को आधार मानते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जो भी गलत है, क्योंकि पूरे श्रीगंगानगर जिले में इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जारी करने वाली कोई अधिकृत संस्था की जानकारी अपीलार्थी को नहीं मिली है। स्वंय अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट कार्यालय से भी सम्पर्क किया गया, पूछा भी गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जान–माल एवं सम्पति का खतरा नहीं है। इस आधार पर शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, का कथन करना भी विधि विरूद्ध है। विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसको खतरा नहीं है वह शस्त्र नहीं रख सकता हो। खतरे की संभावनाओं पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अपीलार्थी किसान है, खेती के लिये रात–दिन किसी भी समय खेतों में पानी देने के लिये जाना होता है। सूनसान गांव से दूर अकेले खेत में जाना किसी तरह के खतरों से कम नहीं है। इसके अलावा किसी भी विधि में यदि आवेदक द्वारा सामान्य प्रक्रम में किसी नियम की पालना नहीं की गई हो या उसके बाबत तथ्य आने से रह गये हों तो यह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 20.6.17 में लिये गये आधार सही है। अपीलांट ने जान–माल का खतरा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 व 12

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के समस्त उपनियमों की अपीलाथ्री द्वारा पूर्ति नहीं किये जाने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है, जो उचित है। साथ ही अप्रशिक्षित व्यक्ति के पास शस्त्र होने से मानव जीवन को संकट पैदा हो सकता है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.17 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.9.2017 को प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये तथ्यों को सही मानते हुए न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण अनुसार अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 17.4.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.6.17 में आवेदक को कोई खतरा नहीं होने, आवेदन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये जाने एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है, की टिप्पणी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं पाये गये, इस आधार पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने शपथ पत्र जिस बाबत प्रस्तुत किया गया उसके सभी 6 बिन्दु सही हैं, कोई भी एक बिन्दु गलत नहीं है। अपीलाधीन आदेश में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, को आधार मानते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जबकि श्रीगंगानगर जिले में इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जारी करने वाली कोई अधिकृत संस्था की जानकारी अपीलार्थी को नहीं मिली है। परन्तु राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथनों एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 20.6.17 में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की गई है कि आवेदक के शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सहीं नहीं पाये गये हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है, जिससे हम सहमत हैं। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

8. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 04.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर